न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 5/21 — **निर्णय दिनांकः–** 8-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2021/13)

1. नारायणराम पुत्र स्व. दानीराम जाति ब्राहमण निवासी गांव हंसेरा हाल सुरनाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक शून्य
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:22:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि ग्राम नेताबास के खसरा नम्बर 65/69 की 25 बीघा भूमि जिस पर अपीलांट विगत् 40 वर्षो से काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि के बन्दोबस्ती के उपरान्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 24 तादादी 6.45 हेक्टर पैमूद हुए, के आवंटन किये जाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट अन्य गांव से प्राथमिकता में नहीं है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by: Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:22:26 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 04–12–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखें। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम नेताबास के खसरा नम्बर 65/69 की 25 बीघा भूमि जिसके बन्दोबस्ती के उपरान्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 24 तादादी 6.45 हेक्टर पैमूद हुए, आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट अन्य गांव से प्राथमिकता में नहीं होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ग्राम नेताबास के खसरा नम्बर 65/69 की 25 बीघा भूमि जिसके बन्दोबस्ती के उपरान्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 24 तादादी 6.45 हेक्टर पैमूद हुए के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर [illegible] किसी प्रकार की सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:22:26 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी अन्य गांव से प्राथमिकता में नहीं मानते हुए खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट ग्राम नेताबास का निवासी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा, मनमाना व अविवेकपूर्ण आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 8-2-21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:22:26 IST
Reason: SelfAttested